

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(9)वित्त/राजस्व/20-21, 22-23/26 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 15.04.2026

आज्ञा

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 में सफल घोषित किए जाने एवं आयोग की अनुशंभानुसार कार्मिक (क-4/2) विभाग के अशा.टीप. क्रमांक प.9(80)कार्मिक/क-4/2/2025/29202 दिनांक 19.03.2026 के क्रम में इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 20.03.2026 द्वारा अभ्यर्थियों का राजस्थान लेखा सेवा में नियुक्ति आदेश जारी किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित अभ्यर्थियों द्वारा ह0च0मा0 रीपा, जयपुर में दिनांक 23.03.2026 से संचालित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति प्रस्तुत करने में विभिन्न कारणों से अलग-अलग अवधि हेतु छूट चाही गई है।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.10.1997, 24.03.2022 एवं 18.05.2022 के अनुसार परीक्षणोपरान्त चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से कार्यग्रहण हेतु एक माह की अभिवृद्धि की जाकर दिनांक 22.04.2026 तक अपनी उपस्थिति वित्त (राजस्व) विभाग में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है-

क्र.सं.	मेरिट नं.	अभ्यर्थी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ)
1.	1083	रमेश कुमार वामणिया
2.	906	रौनक डंगारा
3.	179	स्वाति बूरी
4.	298	अनिकेत जैन
5.	96	अभिलाषा गुप्ता
6.	152	हिमांशु खण्डेलवाल
7.	1312	उन्नत किशोर राजोरा
8.	1277	नरेश कुमार रैगर
9.	713	अश्वनी मीना
10.	769	राहुल कुमार मीणा
11.	1156	राहुल गवारिया
12.	277	मांगी लाल गोदारा

उपर्युक्त अभ्यर्थियों के द्वारा निर्धारित तिथि तक भी कार्यग्रहण/यथेष्ट कारण प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जाएगा कि ये कार्यग्रहण हेतु इच्छुक नहीं हैं तथा इनके लिए नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

शेष शर्तें वित्त विभाग की आज्ञा क्रमांक प.1(9)वित्त/राजस्व/2026 जयपुर, दिनांक 20.03.2026 के अनुसार यथावत रहेंगी।

आज्ञा से,


(पवन जैमन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री महोदया, वित्त।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।

5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
6. महानिदेशक एवं पदेन अतिरिक्त मुख्य सचिव, हचमा रीपा, जयपुर
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/II) विभाग।
8. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ), शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अभ्यर्थी।
11. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

2/2